

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1903 /2019 दिनांक 24.09.2019

श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही को दिनांक 09.09.2019 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश (अवकाश शेष होने की शर्त पर) दिनांक 08.09.2019 एवं 10.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री आचार्य की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

 24-9-19

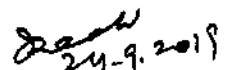
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/37/2013/9110

दिनांक : 24.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही को उनके पत्रांक 2105 दिनांक 11.09.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही।

 24-9-2019

सहायक रजिस्ट्रार